

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3035(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित पठित उप धारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.03.2004 की अधिसूचना सं. का. आ. 373 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “इम्पेक्ट इंडिया फाउंडेशन, एनएचएवीए हाऊस, पहला तल, 65, महर्षि कारवे रोड, मरीन लाईन्स, मुम्बई- 400002” द्वारा “लाईफ लाईन एक्सप्रेस” (चलता- फिरता अस्पताल) को चलाना” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 1 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे आगे दिनांक 26.10.2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 1823 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 06.08.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2055 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 670 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-2015 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 670 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 119.19 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 351.02 लाख रुपये से बढ़ाकर 219.19 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 901.02 लाख रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के 219.19 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 901.02 लाख रुपये से बढ़ाकर 319.19 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 2398.32 लाख रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप

नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 219.19 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 901.02 लाख रुपये से 319.19 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 2398.32 लाख रुपये तक संशोधित करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, (क) “इम्पेक्ट इंडिया फाउंडेशन, एनएचएवीए हाऊस, पहला तल, 65, महर्षि कारवे रोड, मरीन लाईन्स, मुम्बई- 400002” द्वारा चलाई जा रही “लाईफ लाईन एक्सप्रेस’ (चलता-फिरता अस्पताल) को चलाना” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है तथा;

[(ख) उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 373(अ) दिनांक 19.03.2004 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामतः -

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 1 के कॉलम (4) में, जोकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में ‘219.19 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 901.02 लाख रुपये’ अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर ‘319.19 लाख रुपये’ की कार्पस निधि सहित 2398.32 लाख रुपये’ अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 225/2015/ फा. सं. वी-27015/3/2015 एस ओ (रा. स.)]

मन्मथन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)